

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांकD/1475 /

जबलपुर, दिनांक २५/०३/२०२३

श्रीमती रूबी श्रीवास्तव, नवगठित सेवा के सदस्य (कोर्ट अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को पात्रतानुसार दिनांक 05.11.2022 से 14.11.2022 तक 10 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत एवं दिनांक 15.11.2022 से 05.02.2023 तक 83 दिन का अवैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार


सही / -
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांकD/1476 /

जबलपुर, दिनांक २५/०३/२०२३

प्रतिलिपि :-

1. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
2. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
3. सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
4. दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
5. श्रीमती रूबी श्रीवास्तव, नवगठित सेवा के सदस्य (कोर्ट अटेंडेन्ट), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।


(विकास चन्द्र मिश्रा)

01C रजिस्ट्रार (प्रशा.)